पत्र क्र/शिक्षक—शिक्षा/ 30-1/2020-21 2321

रायपुर दिनांक 06/12/20-21

प्रतिष्ठा.
प्रारंभ
समस्त शासकीय/निजी महाविद्यालय/संस्थान


विषय — बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./बी.एल.एड./बी.एड. पादयोगक्रम 2020-21 में प्रवेश देने के संबंध में।

उपरोक्त विषयानुसार इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के कारण व्याप्ति द्वारा प्री टेस्ट का आयोजन नहीं किया गया है अतः केवल इस वर्ष के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/संस्थाओं में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण पादयोगक्रमों में प्रवेश, अर्थात परीक्षा के प्रारंभ के आधार पर प्राचीन स्तर पर, परीक्षा द्वारा पूरा करने की गई मान्यता सूची के अनुसार किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। उन्हें मान्यता सूची के आधार पर परीक्षा द्वारा संस्थाएँ को विद्यार्थी आवश्यक किये जाएंगे। संस्था केवल परीक्षा द्वारा, उन्हें आवश्यक किये गये विद्यार्थियों को ही प्रवेश दे सकते हैं। आवश्यक अभ्यासियों को प्रवेश देने के लिए मूल अभ्यासियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। प्रवेश प्रक्रिया निम्नगुणसूच लिखित करें –

1. SCERT रायपुर के वेबसाइट http://scert.cg.gov.in में जाकर CHIPS के वेबसाइट से लिंक कर अथवा चिकित्सा के वेबसाइट में जाकर संबंधित पादयोगक्रम के सामने अंकित Click to apply बटन को लिंक करें। फिर बाएं तरफ दी गई institute login को लिंक करें।

2. इसके पश्चात अपने महाविद्यालय/संस्था के login ID व पासवर्ड का उपयोग कर आप अपने संस्था से संबंधित जानकारी को देख सकते हैं तथा edit कर सकते हैं।

3. जिस पादयोगक्रम के लिए आपने login किया है उसी login में उस पादयोगक्रम के लिए आपके संस्था को आवश्यक किये गये अभ्यासियों की सूची तथा अभ्यासियों द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त होगी। अभ्यासियों का पंजीयन नंबर जालकर उसका विवरण निकालें।

4. सबसे पहले अभ्यासियों के दस्तावेजों का परीक्षण करें। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद यदि अभ्यासियों द्वारा दी गई जानकारी सत्य पाई जाती है तथा अभ्यासियों द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं तभी आवश्यक अभ्यासियों को प्रवेश दें। दस्तावेजों के परीक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।

5. यदि पाठक संतति है तो छात्र से निर्देशित शूलक लेकर Admit के बटन पर लिंक कर ऑनलाइन प्रवेश दे तथा सिस्टेम से जनरेट की हुई पावती छात्र को देकर उसकी एक प्रति अपने पास रखें।
6. यदि किसी अभ्यर्थी की अंकसूची/प्रमाण-पत्र/दर्तावज्ञाओं के संबंध में कोई शंका हो तो SCERT रायपुर में गठित हाईपॅवर समिति से दूरभाष नंबर पर अथवा सीधे सम्पर्क करें। यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो Chips के श्री बादल पटेल से उनके मोबाइल नंबर पर सीधे सम्पर्क करें।

7. यदि किसी छात्र के दर्तावज्ञाओं में कोई कमी है तो उसे उपयुक्त दर्तावज्ञें के अभाव में अपात्र घोषित करें और उस छात्र के नाम के सामने ऑनलाइन disqualify का विकल्प विलक दें।

8. यदि छात्र आपके महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते हो तो उसके आवंटन को निरस्त करें तथा उस छात्र के नाम के सामने cancel का विकल्प विलक दें।

9. यदि कोई छात्र आपके महाविद्यालय में अपना आवंटन cancel कराने आता है तो उस छात्र को cancellation आवेदन की पावती अनिवार्य रूप से दे।

10. उपरोक्त कार्य को प्रवेश के दौरान नियमित रूप से प्रतिदिन दिवस करें और यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो चिंता अथवा SCERT से सम्पर्क करें अर्थात Updation प्रतिदिन सम्पर्क करना है।

11. यदि आपके महाविद्यालय को आवंटित कोई छात्र समयावधि में रिपोर्ट नहीं करता है तो अगले पेज पर जाकर उसके नाम के सामने Not Reported के विकल्प को विलक करें (अनिम प्रवेश तिथि की शाम की)।

12. आपके महाविद्यालय में आवंटित छात्रों के अस्थायी आवंटन पत्र आपके login Id में उपलब्ध रहेगे इसकी प्रिंट आउट एवं ऑनलाइन प्रवेश देते समय छात्र के ऑनलाइन पावती की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

13. अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों को सत्यापन हेतु निर्देश –

I. अस्थायी आवंटन पत्र जिसमें आपके महाविद्यालय का कोड व महाविद्यालय का नाम तथा प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि अंकित होगा, की जीवा कर लें।

II. जन्म प्रमाण-पत्र के लिए 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो या इस हेतु किसी सख्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र ही मात्रा किया जा सकेगा। बी.एल.एड. व बी.ए.बी.एड. /बी.एस.बी.बी.एड. पादयोक्त्र की पारंपरिक हेतु 10+2 परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत विद्यार्थी आवश्यक है। केवल छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सम्बंध को इसमें 5 प्रतिशत छूट का प्राध्यान्य है। 12वीं की अंकसूची के परीक्षण कर उपरोक्तानुसार पारंपरिक परीक्षण सुनिश्चित करें।

III. बी.ए. बादल के लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्याभारत से स्नातक / स्नातकोतर परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत विद्यार्थी आवश्यक है। इस प्रकार व्याकरणविद्याके पादयोक्त्र में स्नातक उपाधिकारी (जैसे – B.E., B.A.M.S., B.C.A., M.M.B.S. इत्यादि) के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत विद्यार्थी आवश्यक है। इस प्रातांक में केवल छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सम्बंध के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत छूट का प्राध्यान्य है, अर्थात: बी.ए. हेतु स्नातक (कोई भी विषय में) के तीनों वर्ग की अंकसूची के आधार पर उपरोक्तानुसार पारंपरिक परीक्षण करें।
IV. स्नातक (आनंदी) वाले प्रकरण में एकीकृत (एनारेड) प्राप्तांक के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता प्रदान की जाती है। इसलिए स्नातक (आनंदी) वाले प्रकरण में एकीकृत प्राप्तांक (सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग) 50 प्रतिशत होना आवश्यक है।

V. यदि छात्र के स्नातक में प्राप्तांक कम है और यदि वह स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर पात्रता बनानी है अथवा नहीं जांच कर लें।

VI. विश्वविद्यालय की मान्यता हेतु UGC की बेवसाइट का अवलोकन कर लें।

VII. यदि छात्र 5 प्रतिशत छूट का लाभ ले रहा है अथवा आर्थिक वर्ग में उसका चयन हुआ है तो ही जांच प्रमाण-पत्र की जांच करें।

VIII. छ.ग. के मूल निवास प्रमाण-पत्र की जांच करें।

IX. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र व आवेदन प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश न दें।

X. यदि विश्वविद्यालय/बोर्ड परिवर्तन हुआ है तो Migration Certificate आवश्यक है।

XII. शासकीय व अनुदान प्राप्त संस्थाओं में संवर्ग अर्थात भूपूर्व सेनिक/FF/विकलांग संवर्ग के कोटे में यदि अस्थायी का चयन हुआ है तो उनके प्रमाण-पत्रों की जांच करें।

XIII. आबंटन पत्र में अस्थायी का वर्ग एवं आबंटित वर्ग/संवर्ग की जांच करें। यदि अस्थायी आर्थिक वर्ग का है और उसकी सीट आबंटन अनार्थित वर्ग में हुई है तो उसके जांच प्रमाण पत्र की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि उसने कोई छूट का लाभ लिया है तब जांच अवश्य करें।

XIV. कई बार सीटे रिक्त रहने के कारण सीटे पर्सर परिवर्तन कर आबंटित किया जाता है ऐसे प्रकरण में आबंटित वर्ग अनुसार नहीं बल्कि अस्थायी के वर्ग के अनुसार उसके जांच प्रमाण पत्र की पूर्तता करें।

14. चूंकि यह यह मेरिट का निर्धारण अस्थायी के अंतर्गत परीक्षा के प्राप्तांक है इस कारण अस्थायी द्वारा दी गई अर्थता परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी का मिलान उसके अंतर्गत परीक्षा के अंकसूची में दिये गये प्राप्तांकों से करें। यदि इसमें अंतर पाया जाता है तो अस्थायी को प्रवेश न देवे तथा अस्थायी का प्रवेश निर्धारण कर दें।

यदि अंतर पाये जाने के बाद भी आपको द्वारा अस्थायी को प्रवेश दिया जाता है, तो इस मुद्दे के लिए आप भी उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा। संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय को अस्थायी की सूची व सम्पूर्ण जानकारी के लिए login Id उपलब्ध कराई जावेगी। यदि किसी भी स्तर में यह पाया जाता है कि अस्थायी द्वारा जानबूझकर प्राप्तांक की गलत जानकारी देकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हुआ तो अस्थायी के विरुद्ध तथा गलत जानकारी को जानबूझकर नजरअंदाज कर प्रवेश देने हेतु आपको महाविद्यालय के विरुद्ध अपराधिक/धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जावेगा जिसके लिए आप स्वयं
जिम्मेदार होंगे। यदि छात्र से मूलवश त्रुटि हुई है तो उसे प्रवेश न दें तथा परिषद् से सम्पर्क करने का निर्देश दें।
15. किसी भी अन्य शुल्क या अन्य शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क न लें।
16. प्रवेश देते समय तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें एवं छ.ग. शासन/स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का शात प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्त निर्देशों का कदाचित से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(डी.राहुल वेंकट भारती)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर